पंजाब में निजी स्कूल की मनमानी नहीं

सरकार का बड़ा कदम, सालाना 5 प्रतिशत की सीमा तय, अध्यादेश मंजूर

चंडीगढ़, 13 जुलाई. पंजाब में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण लगाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 को मंजूरी दे दी है.

अध्यादेश लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूल निर्धारित नियमों के तहत ही फीस बढ़ा सकेंगे और सालाना फीस वृद्धि की सीमा 5 प्रतिशत तय होगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए धन्यवाद देते हुए इसे बच्चों और अभिभावकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और निजी स्कूलों में फीस के नाम पर होने वाली कथित अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है.

आप ने बताया ऐतिहासिक कदम

सरकार का कहना है कि नए नियम से फीस निर्धारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा. आम आदमी पार्टी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे निजी स्कूलों की मनमानी पर नियंत्रण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है. हालांकि, अध्यादेश के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके व्यावहारिक असर को लेकर आगे निगरानी की जाएगी. सरकार के अनुसार, नए प्रावधानों का उद्देश्य निजी स्कूलों और अभिभावकों के हितों के बीच संतुलन बनाना है.

करतारपुर साहिब कॉरिडोर तत्काल खोला जाए

अमृतसर. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, श्री करतारपुर साहिब के लिए करतारपुर कॉरिडोर को तत्काल दोबारा खोलने की मांग की है. एडवोकेट धामी ने पत्र में कहा कि श्री करतारपुर साहिब वह पवित्र स्थल है, जहां प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने मानवता को 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' का संदेश दिया तथा भाईचारे और सरबत दा भला की भावना का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक गुरुधाम के साथ दुनिया भर की सिख संगतों की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है. नवंबर 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर कॉरिडोर खुलने से विश्वभर के करोड़ों सिखों की लंबे समय से चली आ रही अरदास पूरी हुई थी और लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गुरुधाम के दर्शन किए थे।

जींद से 17 को दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

चंडीगढ़, 13 जुलाई. हरियाणा के जींद से 17 जुलाई को भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी तथा पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होगी। इसका उद्देश्य स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए हरियाणा का चयन राज्य की विकास और नवाचार में अग्रणी भूमिका का प्रमाण है। श्री सैनी ने इसे हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगी।

OFFICE OF UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY

Pradhikaran Bhawan, Bharatpuri Administrative Zone, Dewas Road, Ujjain - 456010
email- udaujjain@gmail.com, website- www.udaujjain.org

Tender Notice

Online tenders are invited from eligible firms for the following work. Detailed tender details can be found on the website https://mptenders.gov.in/nicgep/app

No.	Tender number & date of issue	Name of work	Work duration & PAC	Cost of Tender Form and EMD (INR)	Last date of tender
1	UDA/ET/26/114 Date 10/07/2026 2026_DTCP_520609_1	ANNUAL REPARING WORK FOR UDA BUILDINGS AND STAFF QTRS., COMMUNITY HALL UJJAIN M.P.	365 days 1,01,69,000/-	14750/- 1,01,690/-	24/07//2026

Note: Any amendments to the tender will be published online only on the website and will not be published separately in newspapers.

(Kuldeep Raghuwanshi)
Executive Engineer, UDA, Ujjain

गोली मारकर हत्या करने के बाद हुआ फरार

नई दिल्ली, 13 जुलाई. दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने रविवार देर रात पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर इलाके में पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना पत्नी के जन्मदिन पर दोनों के बीच हुए विवाद के बाद हुई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना ईस्ट विनोद नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) अस्पताल के पास हुई। आरोपी कांस्टेबल का नाम मनीष भाटी है, जो पूर्वी जिले के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) में तैनात है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. मृतका प्रियंका की शादी करीब तीन वर्ष पहले मनीष से हुई थी. परिजनों ने बताया कि 13 जुलाई को प्रियंका का जन्मदिन था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कल देर रात प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर मनीष एलबीएस अस्पताल ले जा रहा था. रास्ते में दोनों के बीच कथित तौर पर तीखी कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने तैश में आकर पत्नी पर गोली चला दी. गोली लगने से प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. गोली चलाने के बाद आरोपी कांस्टेबल पत्नी प्रियंका को सड़क किनारे छोड़कर स्कूटर से फरार हो गया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी एजेंट ने घायल महिला को एलबीएस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी. पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रियंका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मनीष दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करता था.

एनटीए ने जारी की ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट(यूजी)-2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन कॉपी और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिये हैं. एनटीए ने सोमवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और रिकॉर्डेड उत्तर देख सकते हैं तथा यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 13 जुलाई से शुरू हो गयी है और 15 जुलाई को सुबह 11 बजे तक जारी रहेगी।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

रजि. कार्यालय: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेब:- www.pnbhousing.com, शाखा पता:- दुकान नंबर 313, ब्लॉक नंबर सी, पहली मंजिल, राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन, मध्य प्रदेश-451001।

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के चैप्टर क्क्क की धारा 13(2) के तहत नोटिस, जिसे 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' (समय-समय पर संशोधित) के नियम 3(1) के साथ पढ़ा जाए। हम, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे 'PNBHFL' कहा गया है) ने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के चैप्टर III की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया था। यह डिमांड नोटिस हमारे अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे बताए गए सभी उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर को जारी किया गया था, क्योंकि किश्त/ब्याज का भुगतान न करने के कारण आपके खाते को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/नेशनल हाउसिंग बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक (डिफॉल्ट) का विवरण है। इसके अलावा, हमें लगता है कि आप डिमांड नोटिस लेने से बच रहे हैं, इसलिए हम डिमांड नोटिस का यह प्रकाशन कर रहे हैं, जो उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत भी जरूरी है। आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस डिमांड नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर PNBHFL को ऊपर बताई गई राशि, साथ ही अब तक का ब्याज और शुल्क का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, PNBHFL उक्त एक्ट की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी या किसी भी सुरक्षित संपत्ति (सिक्योर्ड एसेट) के खिलाफ जरूरी कार्रवाई/कदम उठाएगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटर की सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेना भी शामिल है। आपका ध्यान 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत आप बकाया राशि का पूरा भुगतान कर सकते हैं, साथ ही PNBHFL द्वारा किए गए सभी खर्च और शुल्क भी दे सकते हैं, लेकिन यह भुगतान केवल उस तारीख तक ही किया जा सकता है जब तक कि सुरक्षित संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन/टेंडर मंगाकर या प्राइवेट ट्रीटी (निजी समझौते) के जरिए बेचने का नोटिस प्रकाशित न हो जाए। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से रोका गया है।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता (ओं) का नाम/पता	गारंटर(ओं) का नाम और पता	गिरवी रखी गई संपत्ति/संपत्तियां	मांग नोटिस की तारीख	इस तारीख तक बकाया राशि मांग सूचना
1.	NHL/RKHE/0224/12 11478 बी.ओ.: खरगोन	श्री/कुमारी। प्रकाश पवार (उधारकर्ता), श्री/कुमारी। अजय प्रकाश (सह-उधारकर्ता), श्री/कुमारी। द्वारकी बाई पवार (सह-उधारकर्ता), सभी यहां हैं: ग्रामः दामखेड़ा, तह. भगवानपुरा खरगोन, म.प्र., भारत - 451441. इसके अलावाः मकान नं.272। वार्ड नं.12 ख.नं.210, पटवारी हल्का नं.21, सरकारी स्कूलों के पास, गाँव दामखेड़ा, तह. भगवानपुरा, खरगोन, भगवानपुरा, म.प्र., 451441।	लागू नहीं	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 272, वार्ड नंबर 12, केएच नंबर 210, पटवारी हल्का नंबर 21, सरकारी स्कूलों के पास, ग्राम दामखेड़ा, तहसील भगवानपुरा, खरगोन, भगवानपुरा, मध्य प्रदेश-451441.	11-06-2026	रू. 7,31,138/- (सात लाख इकतीस हजार एक सौ अड़तीस मात्र) 11-06-2026 तक देय

स्थानः इन्दौर,
दिनांकः 14.07.2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
M/s पीएचबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
सोने की पुनः नीलामी और आमंत्रण सूचना (ऑनलाइन)

नीचे बताए गए उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उधारकर्ताओं ने IDFC FIRST Bank Limited से सोने के गहने गिरवी रखकर लोन लिया था। बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, उधारकर्ता तय समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। नीचे दिए गए लोन खातों (LANs) के लिए पहले फिजिकल मोड में नीलामी की गई थी, जो सफल नहीं रही। इसलिए, बैंक अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अपना बकाया वसूलने के लिए 18/08/2026 को गिरवी रखे गए सोने या गहनों की ऑनलाइन नीलामी करेगा। उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तारीख से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ पूरी बकाया राशि चुकाने का यह आखिरी मौका है; ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के गहने बेच दिए जाएंगे।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
169053326	हेमराज धनुक	नवादा ग्रामीण

अगर नीलामी से कोई अतिरिक्त रकम मिलती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। और अगर नीलामी के बाद कोई कमी या घाटा होता है, तो बाकी रकम उधारकर्ता से उचित कानूनी कार्यवाही के जरिए वसूल की जाएगी। IDFC FIRST Bank के पास बिना पहले सूचना दिए नीलामी से नीचे दिए गए खाते को हटाने का अधिकार है। साथ ही, IDFC FIRST Bank के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तारीख बदलने का अधिकार भी सुरक्षित है।
नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके लिए अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से https://idfcegold.auctiontiger.net पर 18/08/2026 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक और http://gold.samil.in पर दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक नीलामी होगी।
कृपया ध्यान दें कि यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

दिनांकः 14.07.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, **नसीम कुरैशी पति सईद कुरैशी,** निवासी : वार्ड नंबर 10, कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) सूचित करती हूँ कि मेरे पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम **नसीम कुरैशी** एवं **नसीम** दर्ज है। मैं यह स्पष्ट करती हूँ कि **नसीम कुरैशी** और **नसीम** दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे **नसीम कुरैशी** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

नसीम कुरैशी
पता : वार्ड नंबर 10, कसरावद, तहसील-कसरावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, **अब्दुल सईद कुरैशी पिता अब्दुल रसीद कुरैशी,** निवासी : वार्ड नंबर 10, कसरावद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) सूचित करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम **सईद कुरैशी** एवं **अब्दुल सईद कुरैशी** दर्ज है। मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि **अब्दुल सईद कुरैशी** और **सईद कुरैशी** दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। भविष्य में मुझे **अब्दुल सईद कुरैशी** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए।

अब्दुल सईद कुरैशी
पता : वार्ड नंबर 10, कसरावद, तहसील-कसरावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
खंडवा शाखा: प्लॉट नं. 1, श्रीनगर कॉलोनी, इन्दौर रोड, खंडवा-450001

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 05510000440/ खण्डवा शाखा) शेख शकील कुरैशी (ऋणी) फरजाना कुरैशी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जी.एफ., एफ.एफ. एवं एस.एफ. 229 मेहबूबपुरा वाटर वर्क्स रोड वार्ड नंबर 05 सनावद खरगोन म.प्र. 451111 **चर्तुसीमाएं:** पूर्व - सड़क, पश्चिम - शकील कुरेशी का मकान, उत्तर - अय्यूब खा का मकान के बाद रोड, दक्षिण - गली के बाद लतीफ खान का मकान	14-04-2026 & ₹ 7,64,798/-	13-07-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 14-07-2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, बंगाली चौराहा शाखा : लोखण्डवाला, कॉम्पलेक्स, गोयल नगर, बंगाली चौराहा, इन्दौर-452016(म.प्र.)

परिशिष्ठ - 4 {नियम-8(1)} आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **ऋणी मेसर्स बैटर वर्ल्ड फ्यूचर वक्स प्रोप्राईटर श्री जयेश वाधवानी पिता श्री भीष्म वाधवानी, श्री जयेश वाधवानी पिता श्री भीष्म वाधवानी , श्री भीष्म वाधवानी एवं श्रीमती सोनिया वाधवानी** को हमारी **कालानी नगर, शाखा** से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र **दिनांक 18/04/2026** उक्त सूचना पत्र की दिनांक से **60 दिवस** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रु. 25,16,429.80/- (रुपये पच्चीस लाख सोलह हजार चार सौ उनतीस एवं अस्सी पैसे मात्र)** उस पर ब्याज और आगे ब्याज के साथ लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को **आधिपत्य दिनांक 09 जुलाई 2026** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **रु. 25,99,245/- (रुपये पच्चीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ पैं तालीस) दिनांक 09.07.2026** तक एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

''हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों को वापस छुड़ाने के आपके अधिकारों से संबंधित हैं''।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. प्लॉट नं. 135, ग्राम वसुंधरा, गोसीखेड़ा, तहसील डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर, **संपत्ति मालिकः** श्री भीष्म वाधवानी पिता श्री मोहन दास वाधवानी **चर्तु:सीमा:** उत्तर: प्लॉट नं. 134, दक्षिण:कॉलोनी रोड, पूर्व: प्लॉट नं. 112 पश्चिम: कॉलोनी रोड
2. प्लॉट नं. 112, ग्राम वसुंधरा, गोसीखेड़ा, तहसील डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर , **संपत्ति मालिकः** श्रीमती सोनिया वाधवानी पति श्री भीष्म वाधवानी, **चर्तु:सीमा:** उत्तर:प्लॉट नं. 113, दक्षिण: कॉलोनी रोड, पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम, प्लॉट नं. 135

दिनांक : 14.07.2026
स्थान : इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	86157036	संपत्ति के बदले ऋण	01-Jul-2026	5,71,020.82/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नामः 1. गोपाल सिंह 2. अनुराधा सोंधिया

संपत्ति का पताः वह पूरा बना हुआ रिहायशी मकान नंबर 02, जिसका कुल एरिया 1300 वर्ग फुट है, जो ग्राम आबादी सर्वे नंबर 197, पीएच नंबर 43, ग्राम और ग्राम पंचायतः छालडा, वार्ड नंबर 01, तहसीलः नलखेड़ा, जिलाः आगर, शाजापुर, मध्य प्रदेश-465445 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉमन रोड, पश्चिमः मालिक का प्लॉट, उत्तरः लाल सिंह का घर, दक्षिणः सिद्धनाथ का घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांकः 14.07.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस :
यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098.
CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल हैं। उधारकर्ता का